मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3002
16 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

मलिन बस्तियों में रहने वालों को आवास देना

3002. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगरों में, विशेषकर से मुंबई में, केन्द्र सरकार की भूमि पर बसाई मलिन बस्तियों में रहने वालों को आवास उपलब्ध कराने के लिए तथा वर्ष 2022 तक सब को पक्का घर उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना के अनुसार विभिन्न आवास योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के स्वामित्व की भूमि महाराष्ट्र राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं और इसलिए यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे स्लम निवासियों सहित सभी पात्र शहरी परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने हेतु आवास योजनाओं का कार्यान्वयन करें। हांलाकि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के माध्यम से सभी पात्र परिवारों को आवास प्रदान करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा किया है। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत मंत्रालय वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार चार घटकों के माध्यम से सभी मौसमानुकूल पक्के आवास प्रदान करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान कर रहा है: (i) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/वृद्धि (बीएलसी), (ii) साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), (iii) ''स्व-स्थाने'' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर), और (iv) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) ।

*****